छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा   दशम सत्र   अंक-04

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 नवम्बर, 2016
(कार्तिक 27, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 12 (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 52 तारांकित एवं 65 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 01 पर चर्चा के दौरान प्रश्नकर्ता सदस्य श्री दलेश्वर साहू द्वारा आरोपात्मक टिप्पणी किए जाने पर पर माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि - सभा में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग माननीय सदस्यों द्वारा हो रहा है वह उचित नहीं है। गलत उत्तर की जो सूचनाएं माननीय सदस्यों ने दी हैं उसमें प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यवाही होती है।

माननीय सदस्य उनकी सूचनाओं पर सचिवालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आरोपात्मक टिप्पणी उचित नहीं है।

सभा में मोबाईल की घंटी बजने पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि मोबाइल के संबंध में सत्र के आरंभ में ही सदस्यों से सभा भवन में मोबाइल नहीं लाने हेतु अनुरोध किया जाता है। दुर्भाग्यवश आज भी घंटी की आवाज आई है। आप सबसे पुन: अनुरोध है कि जो सूचना सत्र प्रारंभ होने के पहले दी जाती है, उसका पालन सुनिश्चित करें।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 05 पर चर्चा के दौरान श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. पृच्छा

श्री भूपेश बघेल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा विद्युत वितरण कंपनी के निजीकरण किये जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

4. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि -

(1) जिस विषय पर माननीय सदस्यों ने आज स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वह बहुत विलंबित है। इसी विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना मुझे पूर्व में दिनांक 11 नवम्बर, 2016 को प्राप्त हुई है, जो मेरे विचाराधीन है।
मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना को कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

(2) जहां तक सत्र की अधिसूचना जारी होने के पश्चात शासन द्वारा निर्णय लेने का प्रश्न है, यह स्थगन का विषय नहीं है।
इस हेतु नियम, प्रक्रियाओं में अन्य तरीके हैं।

(3) स्थगन प्रस्ताव प्रथम उपलब्ध अवसर पर देना चाहिये।

5. व्यवस्था का प्रश्न एवं व्यवस्था

श्री अमित जोगी, सदस्य द्वारा मोबाइल पर न्यूज देख कर सूचना दिए जाने पर श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, माननीय राजस्व मंत्री द्वारा आसंदी का ध्यान आकर्षित किया गया एवं व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - माननीय अमित जी के द्वारा जो बात रखी गई यह शून्यकाल का विषय नहीं है। यह प्वाइंट आफ इंफारमेश्न है। जिसकी अनुमति पहले से ली जानी चाहिए।

यहां पर मोबाईल लेकर नहीं आएं। मेरा अनुरोध है कि पुन: आप लोग इसका पालन करें।

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री मोतीराम चंद्रवंशी, संसदीय सचिव ने -

(1) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (क्रमांक 10 सन् 1994) की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 एवं पालन प्रतिवेदन, तथा

(2) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015 **पटल पर रखे।**

(सर्वश्री अमित अजीत जोगी, राजेन्द्र कुमार राय एवं सियाराम कौशिक, सदस्य गर्भगृह में आये।)

7. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

मान‍नीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की कार्य प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन श्री अमित अजीत जोगी, श्री राजेन्द्र कुमार राय एवं श्री सियाराम कौशिक, सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये ।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि लगातार तीसरे दिन इस प्रकार के आचरण के संबंध में मैं निर्णय सुरक्षित रखता हूं। आप लोग स्वमेव निलंबित हो गये हैं। इसलिए सदन से बाहर चले जाएं।

(निलंबित सदस्य सभा से बाहर गए)

8. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने सरस्वती सायकल योजना अंतर्गत छात्राओं को गुणवत्ताहीन सायकल प्रदाय किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

(2) डॉ. विमल चोपड़ा, सदस्य ने खाद्य विभाग की वेबसाइट से हितग्राहियों के नाम डिलीट होने से राशन कम दिये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

9. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य ने रायगढ़ जिले में एस.ई.सी.एल. द्वारा छाल बांधापानी परियोजना हेतु भूमि अर्जन मुआवजा राशि वितरण नहीं किये जाने संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

10. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री धनेन्द्र साहू, सभापति ने लोक लेखा समिति का सैंतालीसवां, अड़तालीसवां, उनचासवां, पचासवां, इक्यावनवां, बावनवां, तिरपनवां, चौवनवां एवं पचपनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

11. निलंबन की अवधि एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि - माननीय सदस्य श्री अमित जोगी, श्री राजेन्द्र कुमार राय एवं श्री सियाराम कौशिक विगत तीन दिनों से सउद्देश्य, योजनाबद्ध तरीके से व जानबूझकर नियमों का उल्लंघन कर, गर्भगृह में आकर स्वमेव निलंबित हो रहे हैं। सदस्यों द्वारा बार-बार नियमों के उल्लंघन का उनका कृत्य क्षम्य योग्य नहीं है। आसंदी का यह प्रयास रहा है कि माननीय सदस्य जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार करें। इसी उद्देश्य से पूर्व में मैंने उनके निलंबन को तत्काल समाप्त किया ताकि वे सभा की कार्यवाही में हिस्सा लेकर अपने क्षेत्र की जनता की सेवा कर सकें। मैं तीनों सदस्यों के निलंबन की अवधि आज की बैठक समाप्त होने तक के लिए निर्धारित करता हूं।

12. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा परिसर में चरणबद्ध रूप से पृथक पुस्तकालय भवन निर्माणाधीन है। इसके प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिसका उद्घाटन सोमवार, दिनांक 21 नवम्बर, 2016 को दोपहन 2.00 बजे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। समस्त माननीय सदस्य, अधिकारी एवं पत्रकार गण आमंत्रित हैं। इस अवसर पर भोज में भी आप सादर आमंत्रित हैं।

उक्त के पूर्व नवीन समिति कक्ष में जागरण समूह के प्रकाशन संकल्प का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में किया जाएगा। जिसके निमंत्रण पत्र माननीय सदस्यों को वितरित किये जा रहे हैं।

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 24 सन् 2016)

श्री दयालदास बघेल, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 24 सन् 2016) पुर:स्थापित किया।

2. छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 23 सन् 2016)

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 23 सन् 2016) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
श्री श्रीचंद सुंदरानी, श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बना।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण(संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 23 सन् 2016) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

3. छत्तीसगढ़ लोक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 25 सन् 2016)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ लोक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 25 सन् 2016) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री बृहस्पत सिंह, श्री नवीन मारकण्डेय, श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष, डॉ. खिलावन साहू।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्य सूची के पदक्रम 5 (3) का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री टी.एस. सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष एवं श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा संशोधन पर आपत्ति ली गई।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट की।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ लोक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 25 सन् 2016) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(1.38 से 3.01 तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

4. छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 26 सन् 2016)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, पशुधन विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 26 सन् 2016) पर विचार किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री मोहन मरकाम, नवीन मारकण्डेय, अमरजीत भगत।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 6 इस विधेयक का अंग बना।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, पशुधन विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 26 सन् 2016) पारित किया जाए एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(पद क्रम 6 को पद क्रम 7 पढ़े जाने हेतु संशोधित कार्य सूची जारी हुई)

14. नियम 139 के अधीन लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में महिला उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि होने से उत्पन्न स्थिति

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।
निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
श्री श्याम बिहारी जायसवाल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री कवासी लखमा, (डा.) खिलावन साहू, मोहन मरकाम, श्रीमती सरोजनी बंजारे, सर्वश्री बृहस्पत सिंह, शिवरतन शर्मा, श्रीमती अनिला भेंडिया।

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

15. अशासकीय संकल्प

1. यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में संचालित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अंग-प्रत्यारोपण केन्द्र की स्थापना की जाय।"

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री भूपेश बघेल, डॉ. खिलावन साहू,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री मोहन मरकाम, डॉ.प्रीतम राम,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्य सूची के पदक्रम 7 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं माननीय सदस्य से संकल्प वापस लेने का अनुरोध किया।

श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने सहमति व्यक्त की।

सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ।

2. यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "नागपुर से इंदौर व इंदौर से नागपुर के लिए चलने वाली ट्रेन को बिलासपुर से इदौर व इदौर से बिलासपुर तक प्रतिदिन व्हाया रायपुर, दुर्ग होकर चलाया जाय ।"

श्री नवीन मारकण्डेय, सदस्य (अधिकृत) ने संकल्प प्रस्तुत किया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा में भाग लिया।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

सायं 5.40 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 21 नवंबर, 2016 (कार्तिक, 30 शक संवत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा